फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना–कुचा...

प्रार्थी / वादी		अप्रार्थीगण /
रामनिवास	**बनाम**	सरकार
किस्म प्रकरण : वाद पत्र		मुकदमा नं.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज
06.01.2026	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने जाहिर किया कि हस्तगत प्रकरण में चाही गई इस्तदुआ खातेदार रामनिवास का राजस्व रिकॉर्ड गलत दर्ज नाम निवास के स्थान पर रामनिवास किये जाने संबंधी राजस्व कैम्प अभियान में प्रस्तुत 136 आरएलआर एक्ट के प्रकरण के स्वीकार किये जाने से सही नाम का अंकन किया जा चुका है, जो नकल जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 से परिभाषित है। अतः प्रकरण हाजा इसी स्तर पर निस्तारित किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् नकल जमाबंदीयों का अवलोकन किया। वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष राजस्व कैम्प अभियान से प्राप्त प्रार्थना पत्र 136 आरएलआर एक्ट से प्रदत्त हो चुका है। अतः प्रकरण को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वादी का वाद निस्तारि किया जाता है। मिसल अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना–कुचामन)

Scanned with OKEN Scanner